

12-7/23

वकील अपीलान्त उपस्थित। वकील अपीलान्त ने रेसपोन्ड की तलवी हेतु कोई नोटिस पूर्वज्ञा न्यायालय की पालना में पेश नहीं किये हैं। पत्रावली के अधिलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 29/11/2022 को नोटिस तलवी पेश करने के लिए अनलिम अवसर दिया गया है। परन्तु 6 तारीख पेशी निवस्त चुकी है। अपीलान्त द्वारा न्यायालय की आज्ञा की पालना में नोटिस पेश नहीं किये जाये हैं। अतः उक्त आदेश 9 नियम 5 CPC में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैलत शुमार हो बाद कार्यवाही दारिबल दफ़तर हो।

Koh
जिजिमा कलक्टर
बनारसपुर (बनारस)